रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1196]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 13, 2016/वैशाख 23, 1938
No. 1196]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2016/ VAISAKHA 23, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2016

का.आ. **1771(अ).—** यत: दिल्ली मुख्य योजना में इसके अन्तर्गत उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, **1957 (1957** का **61)** की धारा**-44** के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2015 की सार्वजनिक सूचना का.आ. सं. 243(ई) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा **11-**क की उप-धारा**(3)** द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित पूछताछ और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया और इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित किया गया।

3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना**-2021** में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा **11-**क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना**-2021** में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधन:

मौजूदा प्रावधान	**प्रस्तावित संशोधन**
15.7 अन्य कार्यकलाप 15.7..3	15.7 अन्य कार्यकलाप 17.7.3
V. विशेष क्षेत्र में निर्धारित कम-से-कम मार्गाधिकार की सड़कों से सटे भू-खण्डों में और मुख्य योजना सड़कों और जोनल योजना सड़कों से सटे भू-खण्डों में चालए जा रहे गेस्ट हाउसों को 100**%** तक निर्मित क्षेत्रों पर अनुमति दी जाएगी और प्लॉट के आकार की सीमा लागू नही है। बशर्ते कि एल.वी.जैड. और सिविल लाइन बंगलों जोन को छोडकर गेस्ट हाउस 07.09.2006 से पूर्व दिल्ली मुख्य योजना के उपबंधों के अंतर्गत वैध रूप से चल रहे थे वे उस समय का अनुमेय सीमा के अनुसार चलते रहेंगे।	**V.** विशेष क्षेत्र में निर्धारित कम-से-कम मार्गाधिकार की सड़कों से सटे भू-खण्डों में और मुख्य योजना सड़कों और जोनल योजना सड़कों से सटे भू-खण्डों में चालए जा रहे गेस्ट हाउसों को 100**%** तक निर्मित क्षेत्रों पर अनुमति दी जाएगी और प्लॉट के आकार की सीमा लागू नही है। बशर्ते कि बंगलों जोन को छोड़कर जो गेस्ट हाउस 31.12.2010 से पूर्व दिल्ली मुख्य योजना के उपक्रमों के अंतर्गत वैध रूप से चल रहे एवं वे उस समय का अनुमेय सीमा के अनुरूप चलते रहेंगे। गेस्ट हाउस जो 07.02.2007 से पूर्व विद्यमान थे, के लिए अधिसूचना दिनांक 07.05.1999 में यथानिर्दिष्ट मार्गाधिकार की जरूरत, राष्ट्रीय भवन संहिता, भवन उप निधि, 1983, दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम,2007, दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम, 2010 और संबंधित अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत यथा अनुमेय अन्य सांविधिक निकायों के प्रावधान के अनुसार होंगे।

[फा. सं. के-12011/4/2016-डीडी-I]

सुनील कुमार**,** अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2016

S.O. 1771(E).— whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 243(E) dated 28.01.2015 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, setup by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATIONS:

Existing Provisions	Proposed modification
15.7 Other Activity 15.7.3	15.7 Other Activity 15.7.3
v. Guest Houses operating in plots abutting streets of prescribed minimum RoW in Special Area and in plots abutting Master Plan roads and Zonal Plan roads shall be permissible up to 100% of built up area and the limits on the size of the plot shall not apply. Provided that except in LBZ and Civil Line Bungalow Zone, Guest Houses that were operating validly under provisions of MPD prior to **07.09.2006** would continue to the extent as was permissible at that time.	v. Guest Houses operating in plots abutting streets of prescribed minimum RoW in Special Area and in plots abutting Master Plan roads and Zonal Plan roads shall be permissible up to 100% of built up area and the limits on the size of the plot shall not apply. Provided that except in LBZ and Civil Line Bungalow Zone, Guest House that were operating validity under provisions of MPD 2021, prior to **31.12.2010** would continue to the extent as was permissible at that time. **For Guest Houses, which were already in existence prior to 07.02.2007, the requirement of RoW would be as provided for in notification dated 07.05.1999 subject to the provisions of the National Building Code, Building Byelaws, 1983, Delhi Fire Service Act, 2007, Delhi Fire Service Rules, 2010 and other statutory bodies as applicable under relevant Acts/Rules.**

[F. No. K-12011/4/2016-DD-I]
SUNIL KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.